

प्रपत्र-18

परियोजना विवरण :- सौगढ पन्तगाँव चमडखान सगीना नौगाँव लछमोला मोटर मार्ग का नव निर्माण

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

अधिसाक्षी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

प्रभागीय वनाधिकारी

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
रानीखेत

उप क्षेत्राधिकारी रानीखेत
अल्मोड़ा वन प्रभाग

उपप्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा